

भारत सरकार  
गृह मंत्रालय  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1482

दिनांक 11.02.2020/22 माघ, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

जाति आधारित जनगणना

+1482. श्री बल्ली दुर्गा प्रसाद रावः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सांसदों ने पिछली लोक सभा और राज्य सभा में अन्य पिछड़ा वर्ग (अ०पि०व०) की जाति आधारित जनगणना की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख) : 16वीं लोक सभा एवं राज्य सभा में, संसद सदस्यों ने जाति आधारित जनगणना कराने और अन्य पिछड़ा वर्ग की जनगणना कराने से संबंधित सवालों के जवाब मांगे हैं। जनगणना 2021 कराने संबंधी सरकार की मंशा भारत के राजपत्र में 28 मार्च, 2019 को अधिसूचित की जा चुकी है। जनगणना अनुसूची केंद्रीय मंत्रालयों सहित सभी हितधारकों के साथ परामर्श करके डिज़ाइन की गई है। जनगणना के दौरान, संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950, जो कि समय-समय पर यथा संशोधित है, के तहत राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विशेष रूप से अधिसूचित की गई जातियों और जनजातियों की गणना की जाती है।

\*\*\*\*\*